न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 23 / 2022

1. लक्ष्मीदेवी पत्नी बुधराम जाति मेघवाल निवासी 40 के.जे.डी. तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीया

1. मालाराम पुत्र लिछमण सिंह जाति मेघवाल निः चक नौ डीडब्ल्युडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम चक 40 केजेडी ए का मुरब्बा नंबर 67 / 40 की 25 बीघा भूमि (किला नंबर 1 से 25) राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ह। प्रार्थीया द्वारा अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नं0 68 / 45, 68 / 44, 68 / 43, 68 / 42, 68 / 41 होते हुवे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज मुरब्बा नंबर 67 / 48 के किला नंबर 21 में से 2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीया के मुताबिक वर्तमान में वह इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रही है लेकिन यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद दिनांक 21.02.2022 को अप्रार्थी को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी हाजिर अदालत वकालतन या असालतन नहीं आया । इसके उपरान्त तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुरब्बा 68 / 41,42,42,44,45 में गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है तथा मौके पर चालू है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीकी मु0नं0 68 / 45 से लेकर 68 / 41 तक कटानी रास्ता उपयुक्त हो रहा है। साथ ही प्रार्थीया अपने खेत में पहुँचने के लिए मु0नं0 67 / 48 के किला नं0 21 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने में 0.0063 है0 भूमि का इस्तेमाल करती रही है तथा प्रार्थी को अपनी भूमि पर पहुँच हेतु उक्त सबसे नजदीकी व उपयुक्त रास्ता होता है। वर्णित मु0नं0 67 / 48 के किला नं0 21 वर्तमान में मालाराम पुत्र लिछमणसिंह मेघवाल निः 9 डीडब्ल्युडी तहसील खाजूवाला के नाम दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है जिसने अभी रास्ते को बंद कर रखा है।

अदालत द्वारा अप्रार्थी के हाजिर नहीं आने कारण व तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई । तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 67 / 48 के किला नंबर 21 में से नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थीया का कहना है कि वह वर्तमान में किला नंबर 21 में से होकर गुजर रही है। हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है। इसलिए धारा 251 ए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 67/48 के किला नंबर 21 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के साथ साथ 16.5 फिट चौड़ा व 41 फीट लम्बा (दक्षिणी–उतरी दिशा) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)